दूरभाष:/**Ph. :** 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj

ई–मेल: roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं0 RO 2115 / M-115/2019 दिनांक 18/11/19

E-Mail/Registered Post

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com,

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 455/2019 Gaya Prasad Singh Versus Union of India & Ors. in order dated 03-09-2019.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 03-09-2019 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 455/2019 Gaya Prasad Singh Versus Union of India & Ors. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:- As Above.

Your Sincerely

(J. B Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. District Magistrate, Fatehpur for information.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
3. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.

Regional Officer

O/C 18/11/19

Scanned by CamScanner

मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड, हरदो, खागा, फतेहपुर की बंदी के अनुपालन एवं ईट भट्ठे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा दिये गये मौखिक आदेशों के अनुपालन में दिनांक 16.11.2019 को मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड, हरदो, खागा, फतेहपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रुप में श्री मनोज कुमार, मुंशी उपस्थित थें। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्ठा संचालन में नहीं था तथा ईट भट्ठे की पक्की चिमनी ध्वस्त पायी गयी। जिसके फोटोग्राफ संलग्न हैं।

2. उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच43571/सी–2/वायु–169/क्षतिपूर्ति/प्रयागराज/19 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति रुपये 3,87,500.00 (रुपये तीन लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) अधिरोपित किया गया हैं।

3. ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के उक्त निर्गत पत्र को ईट भट्ठे के निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार, मुंशी को हस्तगत करा दिया गया हैं। हस्तगत कराये गये पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

17.11.19

(रामजस प्रसाद)
अनुश्रवण सहायक

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

17/11/2019
AEE

18/11

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H43571 /सी-2/वायु-169/क्षतिपूर्ति/प्रयागराज/19   दिनॉक / Date 11-11-19

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड,
हरदों खागा,
फतेहपुर।

विषयः— मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड, हरदों खागा, फतेहपुर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि **मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड, हरदों खागा, फतेहपुर** के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'ए' के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश दिनांक 12.06.2019 द्वारा जारी किया गया। जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0—455/2019 गया प्रसाद सिंह बनाम यूनियन-ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित उक्त आदेश दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन में उक्त ईंट भट्ठे को दिनांक 03.06.2019 को उप जिलाधिकारी, खागा, फतेहपुर द्वारा गठित समिति के सदस्यों के साथ उद्योग प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार (मुंशी) की उपस्थिति में ईंट भट्ठा को बन्द कराया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति आख्या दिनांक 01.10.2019 के साथ संलग्न सहायक वैज्ञानिक अधिकारी की आख्या दिनांक 01.10.2019 के अनुसार उद्योग के निरीक्षण दिनांक 01.04.2019 की अवधि से उप जिलाधिकारी, खागा, फतेहपुर द्वारा गठित समिति के सदस्यों के द्वारा ईंट भट्ठे को फायर टैंकर के माध्यम से दिनांक 03.06.2019 को बंद कराये जाने की अवधि तक **कुल 62 दिनों की अवधि हेतु रू0 6250/—दिन की दर से** रूपये (6250 x 62) = 3,87,500/— (रू0 तीन लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग **मैसर्स शारदा ब्रिक फील्ड, हरदों खागा, फतेहपुर** पर रूपये 6250/— प्रतिदिन की दर से 62 दिनों हेतु कुल रूपये 3,87,500/— (रू0 तीन लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी**, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

AEE 14/11

प्राप्त किया
मनोज कुमार
16/11/19
मॉ शारदा ब्रिक फील्ड हरदों खागा फतेहपुर

2/—

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उ... से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें तथा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 12.06.2019 के अद्यतन आख्या बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

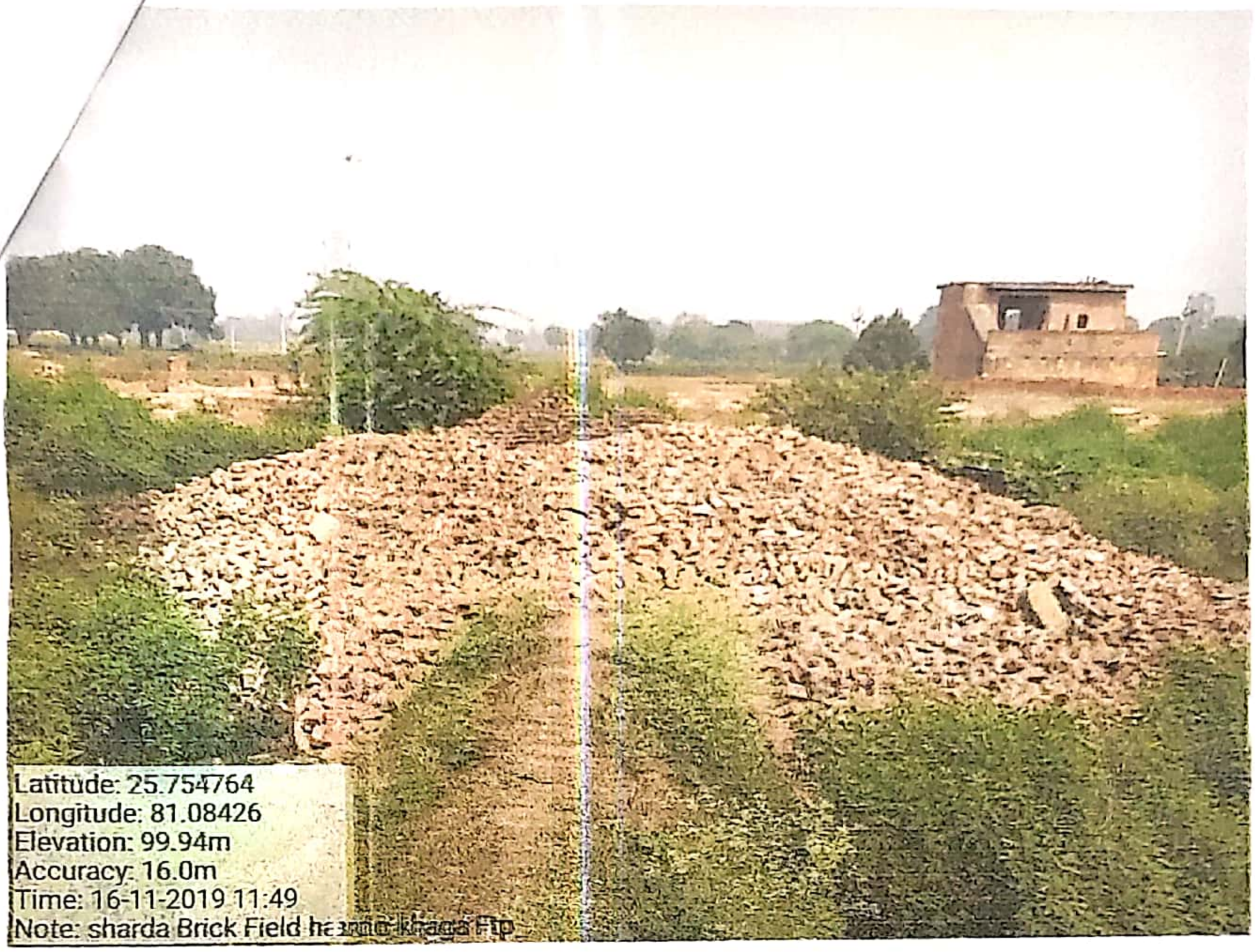

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner